रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1262] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2015/ ज्येष्ठ 27, 1937
No. 1262] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2015/JYAISTHA 27, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2015

का.आ. 1617(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 345(अ), तारीख 14 फरवरी, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में तारीख 14 फरवरी, 2011 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः–

उक्त अधिसूचना के प्रस्तावना में:–

(क) ''जिला राजस्व अधिकारी, अरियालुर'' के स्थान पर ''विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अर्जन, राष्ट्रीय राजमार्ग, तिरूचिरापल्ली'' शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से'' शब्द विलोपित किए जाएंगे।

[फा. सं. एनएचएआई–एचक्यू/11013/2011–एलए/नोटिफ./पीआईयू–विल्लुपुरम]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 345(अ), तारीख 14 फरवरी, 2011, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में, तारीख 14 फरवरी, 2011 में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसका संशोधन राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 2511(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2014 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2015

S.O. 1617(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 345(E) dated the 14th February, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th February, 2011 namely:—

In the preamble to the said notification:—

(a) For the words "District Revenue Officer, Ariyalur", the words and brackets "Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National Highways, Tiruchirappalli" shall be substituted;
(b) The words "with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette" shall be omitted.

[F. No. NHAI-HQ/11013/2011-LA/Notif./PIU-Villupuram]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note: The principal notification was published vide number S.O. 345 (E), dated the 14th February, 2011, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 14th February, 2011 and subsequent amendment vide Gazette No. S.O. 2511(E) dated the 25th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.